उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
कक्ष संख्या 1025, दशम् तल, शक्ति भवन विस्तार
14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

रसायनज्ञ श्रेणी–2 भर्ती परीक्षा–2015

विज्ञापन सं0 यू–17/उ0प्र0रा0वि0उ0से0आ0/2015/सीधी भर्ती

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० हेतु अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग(नॉन क्रीमी लेयर) के रसायनज्ञ संवर्ग के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगात्मक परीक्षा एवं साक्षात्कार द्वारा चयन हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले भारतीय नागरिकों से आवेदन **ऑनलाइन माध्यम** के द्वारा आमंत्रित हैं। **अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।** रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है :

क्र0सं0	पद नाम	कुल रिक्त पद	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनु0 जाति0	अनु0 जनजाति	वेतनमान (रू0 में)
1	रसायनज्ञ श्रेणी–II (Chemist Grade-II)	31	18	07	05	01	रु0 9300–34800/– ग्रेड वेतन रु0 4200/–

इन रिक्तियों में विकलांग एवं स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु कोई पद नहीं बनता है। अतः उक्त श्रेणी के अन्तर्गत सम्बन्धित श्रेणी के अभ्यर्थी आवेदन न करें।

उपरोक्त रिक्तियों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाने एवं बढ़ाने का अधिकार उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के पास सुरक्षित है।

- ❖ उक्त पद पर आरक्षण उ0प्र0 राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमन्य है। अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं।
- ❖ उपरोक्त पद हेतु लिखित परीक्षा एक ही तिथि को एक साथ सम्पन्न होगी
- ❖ उपरोक्त पदों पर चयन होने की अवस्था में निगम की तापीय परियोजनाओं में पाली में कार्य करना होगा।
- ❖ उक्त पद पेन्शनेबुल न होकर मात्र अंशदायी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत आवरित है।

1. **वेतनमानः–** वेतन बैण्ड–2 में वेतनमान रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200 (अन्य भत्ते उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में लागू नियमानुसार होगें)

2. **अनिवार्य शैक्षिक अर्हतायें:–**
उक्त पद हेतु आवेदन करने की तिथि को विधि द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या राज्यपाल द्वारा इस निमित्त मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में कम से कम द्वितीय श्रेणी में एम0एस0सी0 की उपाधि हो। **दूरस्थ शिक्षा माध्यम से अर्जित डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र मान्य नही है।**

3. **आयु** : दिनांक **01-01-2015** को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष।

4. **आयु में अनुमन्य छूट** :
(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन–क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है, को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।
(ख) भूतपूर्व सैनिक (यथा उत्तर प्रदेश के शासनादेश में परिभाषित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 05 वर्ष की सेवा की हो) को अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा सेना में की गयी पूर्ण वर्षों की सेवा की अवधि में तीन वर्ष जोड़ते हुए छूट अनुमन्य होगी।
नोटः–अधिकतम आयु सीमा में सभी प्रकार की छूट का लाभ जोड़ते हुए अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

5. **आरक्षण** :–(क) आरक्षण का लाभ लेने हेतु उ0प्र0 का मूल निवासी होना आवश्यक है। **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/'अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर) एवं भूतपूर्व सैनिक के वे अभ्यर्थी जो उ0 प्र0 के मूल निवासी नहीं है, सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत ही आवेदन करें।** (ख) अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर अनूसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का चयन